कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकाने्

क्रमांकःशिविरा–प्रारं/नियुक्ति/नि–2/982/शि.भ. 18/ लेवल–प्रथम /पार्ट–II/(36)/2018 दिनांकः 5.7.19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, बारां।

विषयः– राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती–2018 लेवल–प्रथम अन्तर्गत तलाकशुदा कोटे से चयनित होने पर नियुक्ति उपरान्त दूसरी शादी करने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने बाबत।

प्रसंगः–आपका पत्रांकःजि.प./परीक्षा अनुभाग/टीजीटी–2018/लेवल–प्रथम/2019/5933 दिनांक 14.06.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती–2018 लेवल–प्रथम अन्तर्गत तलाकशुदा कोटे से चयनित अभ्यर्थी विपिता सेन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर नियुक्ति उपरान्त दूसरी शादी करने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

उक्त प्रकरण के संबंध में लेख है कि कार्यालय आयुक्त प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांकःशिविरा/प्रारं/शि.संस्था/05 दिनांक 29.09.2005 में स्पष्ट किया गया है कि "विधवा/परित्यक्ता की नियुक्तियां में सरकार के निर्देशानुसार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है, और की गई है, में यह सुनिश्चित किया जाना है कि पुनर्विवाह नहीं करने जैसी कोई शर्त नहीं डाली जावे। विधवा एवं परित्यक्ता महिलाऐं नियुक्ति में आने के उपरान्त जब चाहे और जब उचित समझे पुनर्विवाह कर सकती है। इस संबंध में कोई भी बंधन/शर्त डाल दी गई तो विलोपित की जावे।" अतः उक्त पत्र की छाया प्रति आगामी आवश्यक कार्यवाही संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(नथमल डिडेल)
IAS
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज
(प्राशि) राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय आयुक्त, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक– शिविरा/प्रारं/शि.संस्था/05 दिनांक – 29.09.05

समस्त उप निदेशक

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान

विषय – विधवा एवं परित्यक्ता नियुक्ति के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विधवा/परित्यक्ता की नियुक्तियां में सरकार के निर्देशानुसार प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही हैं और की गई है, में यह सुनिश्चित किया जाना है कि पुनर्विवाह नही करने जैसी कोई शर्त नही डाली जावें। विधवा एवं परित्यक्ता महिलाऐं नियुक्ति में आने के उपरान्त जब चाहे और जब उचित समझे पुनर्विवाह कर सकती हैं। इस संबंध में कोई भी बंधन /शर्त डाल दी गई हो तो विलोपित की जावें।

आयुक्त
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर